रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2011/चैत्र 29, 1933
No. 79] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2011/CHAITRA 29, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई , 13 अप्रैल, 2011

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011

फा. सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/12650.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैं, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में —

(i) विनियम 2 में,—

(क) खंड (कख) का लोप हो जायेगा;

(ख) खंड (कग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :—

"(कग) "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ,—

(i) निगमित निकाय के मामले में,—

(क) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन बनाये गये विनियमों के निबंधनों के अनुसार नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जायेगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन के रूप में लगाया जायेगा;

स्पष्टीकरण : इस उप-खंड के पैरा (ख) के प्रयोजन के लिए, पद "नियंत्रक हित" से हित, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत तक, अभिप्रेत है;

(ii) निगमित निकाय के मामले से भिन्न मामले में, इसकी विधिक विरचना या स्वामित्व में किसी परिवर्तन के रूप में लगाया जायेगा ।"

(ii) विनियम 6क में, उप-विनियम (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "अपनी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने" शब्दों "नियंत्रण में परिवर्तन" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे;

(iii) विनियम 12क में,—

(क) उप-विनियम (1) में खंड (ख) का लोप हो जायेगा, अर्थात् :—

(ख) उप-विनियम (2), निम्नानुसार प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :—

"(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के निरसन के होते हुए भी, उप-दलाल उस मामले में अधिनियम की धारा 12 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा जहाँ यह लागू है ।"

(iv) विनियम 16घ के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा; अर्थात् :—

"16घक. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

विनियम 6क के उपबंध विनियम 16घ के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण के प्रति यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।"

(v) विनियम 16ड के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"16डक. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

विनियम 6क के उपबंध विनियम 16ड के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण के प्रति यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।"

(iv) विनियम 26में, उप-विनियम (xvii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :—

"(xvii) स्टॉक दलाल के नियंत्रण में परिवर्तन के मामले में बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने में असफलता ।"

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में,—

(i) विनियम 2 में, खंड (कग) का लोप हो जायेगा;

(ii) विनियम 9क में, उप-विनियम (1) में खंड (क) में, शब्द "इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने" शब्दों "नियंत्रण में परिवर्तन" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे;

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में—

(i) विनियम 2 में,—

(क) खंड (खख) का लोप हो जायेगा;

(ख) खंड (खग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :—

"(खग) "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ,—

(i) निगमित निकाय के मामले में,—

(क) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन बनाये गये विनियमों के निबंधनों के अनुसार नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जायेगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन के रूप में लगाया जायेगा;

स्पष्टीकरण :– इस उप-खंड के पैरा (ख) के प्रयोजन के लिए पद "नियंत्रक हित" से हित चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत तक, अभिप्रेत है;

(ii) निगमित निकाय के मामले से भिन्न मामले में, इसकी विधिक विरचना या स्वामित्व में किसी परिवर्तन के रूप में लगाया जायेगा।"

ii. विनियम 9क में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्द "इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने" शब्दों "नियंत्रण में परिवर्तन" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे;

6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 में—

i. विनियम 2 में,—

(क) खंड (कग) का लोप हो जायेगा;

(ख) खंड (कघ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :—

"(कघ) "नियंत्रण में परिवर्तन" के अर्थ,—

(i) निगमित निकाय के मामले में,—

(क) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन बनाये गये विनियमों के निबंधनों के अनुसार नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जायेगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन के रूप मे लगाया जायेगा;

स्पष्टीकरण :—इस उप-खंड के पैरा (ख) के प्रयोजन के लिए पद "नियंत्रक हित" से हित, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत तक, अभिप्रेत है;

(ii) निगमित निकाय के मामले से भिन्न मामले में, इसकी विधिक विरचना या स्वामित्व में किसी परिवर्तन के रूप में लगाया जायेगा ।"

ii. विनियम 9क में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्द "इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने" शब्दों "नियंत्रण में परिवर्तन" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे ।

7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में—

i. विनियम 2 में, खंड (कघ) का लोप हो जायेगा;

ii. विनियम 9क में, उप-विनियम (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने" शब्दों "नियंत्रण में परिवर्तन" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

8. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में—

i. विनियम 2 में, खंड (कघ) का लोप हो जायेगा;

ii. विनियम 8क में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्द "इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने" शब्दों "नियंत्रण में परिवर्तन" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे ।

9. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 में,—

i. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(कक) "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ,—

(i) निगमित निकाय के मामले में,—

(क) यदि इसके शेयर किसी मान्यातप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन बनाये गये विनियमों के निबंधनों के अनुसार नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जायेगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन के रूप में लगाया जायेगा;

स्पष्टीकरण : इस उप-खंड के पैरा (ख) के प्रयोजन के लिए पद "नियंत्रक हित" से हित चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत तक, अभिप्रेत है;

(ii) निगमित निकाय के मामले से भिन्न मामले में, इसकी विधिक विरचना या स्वामित्व में किसी परिवर्तन के रूप में लगाया जायेगा ।"

ii. विनियम 20 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(गक) जहाँ सहभागी नियंत्रण में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है, तो वहाँ यह परिवर्तन के पश्चात् ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा;"

10. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में,—

i. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में खंड (ङ) का लोप हो जायेगा;

ii. विनियम 9 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, शब्द "अपनी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने" शब्दों "नियंत्रण में परिवर्तन" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69-जैडबी/11/असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th April, 2011

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(CHANGE IN CONDITIONS OF REGISTRATION OF CERTAIN INTERMEDIARIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2011

No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations, namely :—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992 —

i. in regulation 2,—

a. clause (ab) shall be omitted;

b. clause (ac) shall be substituted with the following, namely :—

"(ac) "change in control"—

(i) in case of a body corporate—

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of Section 11 of the Act;

(B) in any other case, shall be construed as change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation : For the purpose of para (B) of this sub-clause, the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty-one per cent of voting rights in the body corporate;

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership."

ii. in regulation 6A, in sub-regulation (1), in clause (c), the words "to change his status or constitution" shall be substituted with the words "change in control";

iii. in regulation 12A,—

a. in sub-regulation (1), clause (b) shall be omitted;

b. sub-regulation (2) shall be substituted as follows, namely :—

"(2) Notwithstanding repeal of clause (b) of sub-regulation (1), the sub-broker shall obtain a fresh registration under section 12 of the Act in a case where it is applicable."

iv. after regulation 16D, the following regulation shall be inserted, namely :—

"16DA. Conditions of registration.

The provisions of regulation 6A shall be applicable *mutatis mutandis* to any registration granted by the Board under regulation 16D."

v. after regulation 16M, the following regulation shall be inserted, namely :—

"16MA. Conditions of registration.

The provisions of regulation 6A shall be applicable *mutatis mutandis* to any registration granted by the Board under regulation 16M."

vi. in regulation 26, sub-regulation (xvii) shall be substituted with the following, namely :—

"(xvii) Failure to obtain prior approval of the Board in case of change in control of the stock broker."

4. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 —

i. in regulation 2, clause (ac) shall be omitted;

ii. in regulation 9A, in sub-regulation (1), in clause (a), the words "to change its status or constitution" shall be substituted with "change in control";

5. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993—

i. in regulation 2,—

a. clause (bb) shall be omitted;

b. clause (bc) shall be substituted with the following, namely :—

"(bc) "change in control"—

(i) in case of a body corporate—

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of Section 11 of the Act;

(B) in any other case, shall be construed as change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation : For the purpose of para (B) of this sub-clause, the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty-one per cent of voting rights in the body corporate;

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership.

ii. in regulation 9A, in sub-regulation (1), in clause (a), the words "to change its status or constitution" shall be substituted with "change in control";

6. In the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993—

i. in regulation 2,—

a. clause (ac) shall be omitted;

b. clause (ad) shall be substituted with the following, namely :—

"(ad) "change in control"—

(i) in case of a body corporate—

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) in any other case, shall be construed as change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation: For the purpose of para (B) of this sub-clause, the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty-one per cent of voting rights in the body corporate;

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership."

ii. in regulation 9A, in sub-regulation (1), in clause (a), the words "to change its status or constitution" shall be substituted with "change in control".

7. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993 —

i. in regulation 2, clause (ad) shall be omitted;

ii. in regulation 9A, in sub-regulation (1), in clause (a), the words "to change its status or constitution" shall be substituted with "change in control".

8. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994—

i. in regulation 2, clause (ad) shall be omitted;

ii. in regulation 8A, in sub-regulation (1), in clause (a), the words "to change its status or constitution" shall be substituted with "change in control".

9. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996—

i. in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (a), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(aa) "change in control"—

(i) in case of a body corporate—

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of Section 11 of the Act;

(B) in any other case, shall be construed as change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation: For the purpose of para (B) of this sub-clause, the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty-one per cent of voting rights in the body corporate;

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership."

ii. in regulation 20, in sub-regulation (2), after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(ca) where the participant proposes change in control, it shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as such after the change;"

10. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999—

i. in regulation 2, in sub-regulation (1), clause (ei) shall be omitted;

ii. in regulation 9, in sub-regulation (1), in clause (c), the words "to change its status or constitution" shall be substituted with "change in control".

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT III/4/69-ZB/11-Exty.]

अधिसूचना

मुम्बई, 19 अप्रैल, 2011

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/2/12648.— भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय फिरोज़ गाँधी मार्केट, लुधियाना-141001 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होग, एतद्द्वारा, प्रतिभूति संविधान (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 28 अप्रैल, 2011 को प्रारम्भ होने वाली और 27 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत इसमें इसके नीचे कथित अथवा इसके पश्चात् यथा विहित या अधिरोपित शर्तों के अध्यधीन प्रदान करता है :

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिरोपित समस्त विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् ही व्यापार प्रारम्भ कर सकता है ।
- एक्सचेंज ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जायें ।

डॉ. के. एम. एब्रहाम, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/69-जैडबी/11/असा.]

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th April, 2011

No. LAD-NRO/GN/2011-12/02/12648.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by Ludhiana Stock Exchange Limited having its registered office at Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recogintion to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 28th day of April, 2011 and ending on 27th day of April, 2012 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as prescribed or imposed here after :

- The Exchange can commence trading only after complying with all the regulatory requirements imposed by Securities and Exchange Board of India.
- The Exchange shall comply with such conditions as may be stipulated by Securities and Exchange Board of India from time to time.

Dr. K. M. ABRAHAM, Whole-time Member

[ADVT. III/4/69-ZB/11/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.